उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्या–942/60–2–13–2/1(81)/2012
लखनऊः दिनांक 18 अप्रैल, 2013

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.10.12 द्वारा पुष्टाहार एवं अन्य दरों को पुनरीक्षित करते हुए आईसीडीएस योजना को पूरे देश में 'मिशन मोड' के रूप में कियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार कार्यक्रम को मिशन मोड में कियान्वित किये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही की जानी है। मिशन मोड का मुख्य उद्देश्य योजना के अन्तर्गत सेवाओं का संस्थानीकरण तथा सभी स्तर पर संरचना का सशक्तीकरण, सभी स्तरों पर आईसीडीएस कर्मियों का प्रशिक्षण व क्षमता विकास, अन्तर्विभागीय समन्वय का सशक्तिकरण, सामुदायिक जागरूकता व भागीदारी में वृद्धि तथा आईसीडीएस प्रबन्धन सूचना प्रणाली विषयान्तर्गत नवीन शोध व सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से संचालन व उपयोग करना है।

2. आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत मिशन मोड के संचालन हेतु जो संस्थागत व्यवस्था की जा रही है उससे सम्बन्धित राज्य स्तर पर मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक **'स्टेट मिशन स्टेयरिंग ग्रुप'** (SMSG) का गठन किया जाता है। उक्त कमेटी आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रमों के कियान्वयन में दिशा–निर्देश, नीतियां एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उक्त कमेटी का स्वरूप निम्नवत है: –

(1) मा0 मुख्यमंत्री जी	– अध्यक्ष
(2) मा0 बाल विकास सेवा व पुष्टाहार मंत्री जी	– उपाध्यक्ष
(3) मुख्य सचिव	– कार्यकारी उपाध्यक्ष
(4) प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास	– सदस्य/सचिव
(5) प्रमुख सचिव, चिकित्सा व स्वास्थ्य	– सदस्य
(6) प्रमुख सचिव, वित्त	– सदस्य
(7) प्रमुख सचिव, नियोजन	– सदस्य
(8) प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	– सदस्य
(9) प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा	– सदस्य
(10) प्रमुख सचिव, पंचायती राज	– सदस्य
(11) प्रमुख सचिव, नगर विकास	– सदस्य
(12) निदेशक राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन	– सदस्य
(13) सदस्य फूड एण्ड न्यूट्रीशन बोर्ड	– सदस्य
(14) क्षेत्रीय निदेशक, निपसिड	– सदस्य
(15) 2–3 जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी रोटेशन के आधार पर	– सदस्य
(16) प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास द्वारा नामित 5 सदस्य (मातृ समिति के सदस्य, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि व गैर सरकारी विषय विशेषज्ञ	– सदस्य

3. उक्त स्टेट मिशन स्टीयरिंग ग्रुप के कार्यकारी उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे तथा कम से 03 माह में एक बार इस ग्रुप की बैठक आयोजित की जायेगी।

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव

संख्या–942(1)/60–2–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र संख्या–1–8/2012–सीडी–। दिनांक 22.10.12 के कम में।
2 विशेष कार्याधिकारी/ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास, वाटर एवं सैनिटेशन, शहरी विकास, पंचायती राज, अनुसूचित जनजाति कल्याण, बेसिक शिक्षा, योजना तथा वित्त को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6. अन्य सम्बन्धित सदस्यगणों को।
7. निदेशक/स्टेट मिशन डायरेक्टर, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव